परियोजना का नामः— रा0मा0—74 कि0मी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

<u>प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश सं0</u> 292/III(3)/2012-903 (ए0डी0बी0) 7/08 टी0सी0 दिनांक 18.06.2012 संलग्न है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड/ए॰डी॰बी॰
लो॰नि॰वि॰ रूद्रपुर
ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

संख्या 292 / III(3) / 2012 903(ए०डी०बी०) / 08 टी०सी०

प्रेषक

महेन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर I
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 18 जून 2012

विषय- एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (USRIP) के फेज-III के अन्तर्गत चयनित 89 (नवासी) मोटर मार्गो हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4034/ए०डी०बी०/2011 दिनांक 16.09.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित उत्तराखण्ड सड़क निवेश (USRIP) के फेज III के अन्तर्गत चयनित 89 मोटर मार्गो के निर्माण एवं स्थापना हेतु प्रस्तुत आगणनों (सूची संलग्न) कुल लम्बाई 1036.16 कि०मी० लागत ₹ 98515.40 लाख [₹ 92733.81 लाख + ₹ 5781.59 लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो)] के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त ₹ 90022.69 लाख [₹ 84241.10 लाख + ₹ 5781.59 लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य)] (₹ नौ अरब बाईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की लागत औचित्यपूर्ण पायी गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम (USRIP) के फेज-III के अन्तर्गत चयनित 89 कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि ₹ 90022.69 लाख [₹ 84241.10 लाख + ₹ 5781.59 लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य)] (₹ नौ अरब बाईस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस विश्व बैंक सहायतित योजना/वाह्य सहायतित योजना (ए०डी०बी० पोषित कार्य) हेतु प्राविधानित धनराशि में से ₹ 10000.00 लाख को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति दी जाती है:

(i) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण ₹ 2500.00 लाख की चार समान किश्तों में किया जायेगा तथा अगली किश्त का आहरण तभी किया जाय जब प्रथम किश्त का पूर्ण उपयोग कर लिया जाय।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर विभाग के अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि ₹ 5781.59 लाख का उपयोग, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 252/ II(3)/2011 901(ए०डी०बी०)/2008 दिनांक 06.06.2011 में उल्लिखित बिन्दुओं/व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः

Photo Copy Attested

(इं० गिरीश चन्द्र जोशी)
सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लो०नि०वि०
रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)

Scanned by CamScanner

(iv) आगणन में ली गयी सभी दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दर को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है तथा उन दरो को बाजार भाव से अथवा रेट कान्ट्रेक्ट लिया गया है तो उसकी स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, उसी के अनुसार आंगणन में दरें अनुमन्य होंगी।

(v) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण/सर्वे कर विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को किसी भी दशा में प्रारम्भ न कराया जाय।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करे।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनाक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशें का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(xi) कार्य सम्पादित कराते समय शासनादेश संख्या-571/XXVii(1)/2010, दिनाक 19.10.2010 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रथम चरण के कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् ही द्वितीय चरण के कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाय। प्रथम चरण के कार्य पूर्ण होने पर कार्यवार पृथक-पृथक प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xii) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiii) नियमानुसार स्थल पर साइट आर्डर बुक, प्राविधिक स्वीकृति आगणन की सत्य प्रति एवं विस्तृत मानचित्र आवश्य हर समय उपलब्ध रहें तथा जिस भी अधिकारी द्वारा स्थल का निरीक्षण हो उसमें दिये गये निर्देश तथा आगे दिये जाने वाले कार्यों के लिए साइट आर्डर बुक पर अवश्य इंगित किया जाय ताकि उच्च अधिकारियां द्वारा स्थल निरीक्षण के समय साइट आर्डर बुक को प्रस्तुत किया जाय, तथा साइट आर्डर बुक पूर्व मे जो निर्देश दिये गये थे उसकी पालन आख्या हुई अथवा नहीं। इसकी पुष्टि भी इंगित की जाय। यदि उच्च अधिकायों द्वारा किसी प्रकार की विशिष्टियों में परिर्वतन किया जाता है, तो उसे अपनी संस्तुति सहित साइट आर्डर बुक मे इंगित किया करें तथा यदि कार्य किन्ही कारणों से स्वीकृत लागत से सम्पादित नहीं हो सकता है तथा कार्य का पुनरीक्षित आगणन गठित करना आवश्यक हो तो पुनरीक्षित आगणन के साथ साइट आर्डर बुक की प्रति संलग्न की जाए। यह सभी कार्यो हेतु लागू होगी इसके साथ ही कार्य चाहे उत्तराखण्ड राज्य से किसी भी मद में स्वीकृत हो या भारत सरकार तथा अन्य श्रोतों से स्वीकृत हो यह नियम सभी पर लागू होगा।

(xiv) स्थल पर किसी भी प्रकार की नींव खुदान की जाती है जैसे भवन निर्माण हेतु, सेतु निर्माण हेतु, डाम से सम्बन्धित, नलकूप, ट्राली, आदि की समस्त नींव संरचना का कार्य तभी प्रारम्भ किय जाना होगा जबकि इसमे भूकम्प रोधी का समस्त प्राविधान एवं भू-गर्भवेत्ता द्वारा निश्चित की गयी भू-भारता का समावेश किया जाना आवश्यक है। इस हेतु शासन से कम से कम अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारी को कार्य प्रारम्भ करते समय सभी का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है यदि उक्त में से किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता का होगा।

Photo Copy Attested

(इं० गिरीश चन्द्र जोशी)
सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लो०नि०वि०
रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)

Scanned by CamScanner

(xv) समस्त सभी सीमेंन्ट के कार्यों का सम्पादन विभाग में कार्यरत कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर का होगा। सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि वह हर समय सीमेंट की स्टालिंग की गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे तथा इसकी पुष्टि अपने साईट आर्डर बुक मे इंगित करते रहेंगे।

(xvi) कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो, का पूर्ण उत्तरदायित्व अधीक्षण अभियन्ता का होगा, तथा जिन विभागों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी नियुक्त न हो तो इस दशा में वे लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता के स्थल निरीक्षण के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा

(xvii) उक्त अनुमोदित योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि की मांग की जायेगी;

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800- अन्य व्यय-07 विश्व बैंक सहायतित योजना/बाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत/सुदृढ़ीकरण-- निर्माण/सुदृढ़ीकरण-24 वृहत्त निर्माण कार्य में प्राविधानित बजट के नामें डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹ 10000.00 लाख (₹ सौ करोड़ मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार अलोटमेन्ट आई0डी0 सं0-S1206221349, दिनांक 18.06.2012 द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है। अतः तद्नुसार अपर मुख्य सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 एवं शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र सं0 161/XXVII(2)/2012, दिनांक 15 जून 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(महिमा)
अनु सचिव

पृ.सं. 292 (1)/III(3)/2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. परियोजना निदेशक, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमॉयू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
7. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

Photo Copy Attested
(ई० गिरीश चन्द्र जोशी)
सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लो०नि०वि०
रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक- 343 /21 बजट (वा०स० पी०)/2012-13 दिनांक 18/7/2012

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, पी०एम०यू०, ए०डी०बी० लो०नि०वि० देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता [illegible] लो०नि०वि० नई टिहरी/पिथौरागढ़।
3. नियोजन वर्ग-II/कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि० देहरादून।

(हस्ताक्षर)
मुख्य अभियन्ता स्तर-1

Scanned by CamScanner

74	चम्पावत	चम्पावत	1	पूर्णागिरि से श्यामलाताल मोटर मार्ग	[illegible]	520.97	225.28	26.00	[illegible]
75	पौड़ी	नैनीडांडा	1	सिरकोटखाल कण्डुल शीलखाल मोटर मार्ग	[illegible]	589.13	518.42	44.98	[illegible]
76		[illegible]	1	चिलाई-पैटशाल-[illegible] मोटर मार्ग	7.000	504.54	419.01	17.17	[illegible]
77		[illegible]	1	पीलाबैकी से खैती मोटर मार्ग	[illegible]	564.64	480.85	46.80	[illegible]
78	अल्मोड़ा	रानीखेत	1	स्यूनी से सिलौर महादेव मोटर मार्ग	[illegible]	1225.21	1068.73	70.22	[illegible]
79		सल्ट	1	मुसरीजखान जीनापानी मोटर मार्ग (मिकियासैंण से जीनापानी मोटर मार्ग)	[illegible]	421.53	340.96	39.00	[illegible]
80	देहरादून	चकराता	1	चकराता से लाखामण्डल मोटर मार्ग	40.000	3176.85	2765.68	138.35	[illegible]
81	नैनीताल	मुक्तेश्वर	1	नथुवाखान हड़ौली [illegible] मोटर मार्ग	[illegible]	825.63	592.35	148.23	[illegible]
82	पौड़ी	बीरोंखाल	1	पौखरा से बैजरो मोटर मार्ग	[illegible]	586.23	523.36	47.56	[illegible]
83	टिहरी	टिहरी	1	चम्बा से रानीचौरी [illegible] मोटर मार्ग	[illegible]	615.29	504.22	[illegible]	[illegible]
84	ऊधमसिंह नगर	खटीमा	1	चकरपुर [illegible] से [illegible] मोटर मार्ग (खटीमा चकरपुर [illegible] मोटर मार्ग)	[illegible]	992.65	881.51	49.81	[illegible]
85			2	रा0मा0 74 [illegible] (सितारगंज) [illegible] तक	[illegible]	5867.04	5246.79	211.46	[illegible]
86	उत्तरकाशी	पुरोला	1	पुरोला से जरमोला [illegible] मोटर मार्ग	[illegible]	827.85	693.73	[illegible]	[illegible]
87		[illegible]	1	[illegible] मोटर मार्ग	[illegible]	[illegible]	380.40	36.11	[illegible]

Photo Copy [illegible]

(इं० गिरीश चन्द्र जोशी)
सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०) लो०नि०वि०
रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)